

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2004

का.आ. 510 (अ).—जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 जून, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 399 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दारदिओनो राहत फंड, 102 काशी पारेख कांप्लेक्स, 29, आदर्श सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 द्वारा अहमदाबाद में स्वास्थ्य रिलीफ परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 11 पर विनिर्दिष्ट किया था; तथा जिसे बाद में दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 312 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा दिनांक 7 जून, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 608 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त तरीके से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की अनुमोदित लागत को 137.08 लाख रू० से 157.08 लाख रू० पर संशोधित करती है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उद्घारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) एतद्द्वारा दारदिओनो राहत फंड, 102 काशी पारेख कांप्लैक्स, 29, आदर्श सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 द्वारा अहमदाबाद में चलाई जा रही स्वास्थ्य रिलीफ परियोजना को विनिर्दिष्ट करती है और

(ख) दिनांक 6 जून, 1996 की उक्त अधिसूचना सं० सां० आ० 399 (अ०) में निम्न प्रकार से आगे संशोधन करती है, नामतः -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं० 11 के सामने कॉलम (4) में, अनुमत्य अधिकतम लागत से संबंधित आंकड़ों में अंको और शब्दों में “137.08 लाख रू०” के स्थान पर आंकड़ों में अंकों और शब्दों में “157.8 लाख रू०” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।